

अध्याय 6: एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

एकीकृत और सतत तटीय प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एम.ओई.एफ. एवं सी.सी. ने मार्च 2010 में एक एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आई.सी.जेड.एम.पी.) की शुरुआत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता लेने के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया, जिसे मार्च 2010 में अनुमोदित⁵³ किया गया था। विश्व बैंक ने आई.सी.जेड.एम.पी. के लिए भारत सरकार को ₹ 1153.63 करोड़ की कुल लागत के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा जिसमें विश्व बैंक का घटक ₹ 896.37 करोड़ का था जो परियोजना लागत का 77.7 प्रतिशत था। शेष ₹ 177.66 करोड़ (15.4 प्रतिशत) को भारत सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव किया गया और ₹ 79.60 करोड़ (6.9 प्रतिशत) भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था।

परियोजना का उद्देश्य (पी.डी.ओ.) भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए सतत तटीय प्रबंधन दृष्टिकोण की क्षमता में विकास करना था, और गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे चुनिंदा राज्यों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन दृष्टिकोण का संचालन करना था। परियोजना के घटकों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1: आई.सी.जेड.एम.पी. के घटक

राष्ट्रीय घटक	राज्य घटक (गुजरात)	राज्य घटक (ओडिशा)	राज्य घटक (पश्चिम बंगाल)
<ul style="list-style-type: none"> मानचित्रण, परिसीमन और खतरे की रेखाओं का सीमांकन, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ई.एस.ए.) और भारत के मुख्य भूमि तट के साथ तटीय तलछट कोशिकाओं का परिसीमन (एन.सी.जेड.एम.ए.) के लिए सचिवालय के रूप में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. की क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन केंद्र की स्थापना और आई.सी.जेड.एम. के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम 	<ul style="list-style-type: none"> गुजरात राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोण का संचालन जिसमें कच्छ की खाड़ी के लिए आई.सी.जेड.एम. योजना तैयार करना और वन और पर्यावरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभागों की क्षमता निर्माण शामिल है। कच्छ क्षेत्र की खाड़ी में प्राथमिकता वाले निवेश जैसे तटीय संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण, प्रदूषण में कमी और तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा। 	<ul style="list-style-type: none"> ओडिशा राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोण का संचालन जिसमें पारादीप-धामरा और गोपालपुर-चिल्का के तटीय हिस्सों के लिए आई.सी.जेड.एम. योजना तैयार करना शामिल है। चिल्का विकास प्राधिकरण सहित राज्य के विभागों का क्षमता निर्माण। गोपालपुर-चिल्का और पारादीप-धामरा के लिए उड़ीसा में प्राथमिकता निवेश, तटीय संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण, प्रदूषण उपशमन और तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा। 	<ul style="list-style-type: none"> पश्चिम बंगाल के लिए आई.सी.जेड.एम. योजना की तैयारी क्षमता निर्माण सुंदरबन में दीघा-शंकरपुर और सागर द्वीप के दो लक्षित तटीय हिस्सों में प्राथमिकता निवेश

⁵³ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा

परियोजना में चार कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् प्रमुख जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी. तथा परियोजना⁵⁴ को कार्यान्वित करने के लिए तीन भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक में वन और पर्यावरण विभाग (डी.ओ.एफ.ई) शामिल थे। इसके अलावा, अंतर- क्षेत्रीय समन्वय के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालन समितियों का गठन किया गया था ।

आई.सी.जेड.एम.पी. के चार अलग-अलग घटकों के तहत की गई गतिविधियों पर हमारा अवलोकन नीचे दिया गया है:

6.1 आई.सी.जेड.एम.पी. के (घटक 1) राष्ट्रीय घटक के तहत गतिविधियों का आकलन

6.1.1 खतरा रेखा को जमीनी सीमांकन ना होना

आई.जेड.एम.पी. के कार्यान्वयन के लिए खतरा रेखा⁵⁵ की अवधारणा मुख्य थी। जोखिम रेखा मानचित्रण का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में विभिन्न आपदाओं से जीवन और संपत्ति के जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करना है। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा ₹ 125 करोड़ की लागत से देश के पूरे समुद्र तट के लिए मानचित्रण किया जाना था, जिसे बाद में 2018 में ₹ 139.04 करोड़ में संशोधित किया गया। मार्च 2020 तक परियोजना के तहत ₹ 112.49 करोड़ का व्यय किया गया था। खतरा रेखा के मानचित्रण का काम अगस्त 2018 में पूरा कर लिया गया था। निजी भूमि में संयुक्त खतरा रेखा को जमीन पर लोहे की नोक के खूंटे से चिह्नित किया जाना था और सरकारी भूमि पर पत्थर के खंभों को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के आवश्यक अनुमोदन से बनाया जाना था। तथापि, यह अभी भी एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा किया जाना शेष था। इस प्रकार, जमीन पर दिखाई देने वाली खतरे की रेखा की कमी ने स्थानीय उद्देश्यों के लिए योजना बनाने के उपकरण के रूप में इसके उपयोग को रोका था।

6.1.2 अत्यंत संवेदनशील तटीय क्षेत्रों (सी.वी.सी.ए.) के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाओं (आई.एम.पी.) की तैयारी न करना

विकासात्मक और अन्य खतरों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, सी.आर.जेड. अधिसूचना ने 12⁵⁶ पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को सी.वी.सी.ए. के रूप में नामित किया

⁵⁴ चार कार्यान्वयन अभिकरणों में से प्रत्येक ने परियोजना विकास उद्देश्यों का प्रबंधन करने के लिए पंजीकृत समितियों के रूप में विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किए, अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एन.पी.एम.यू.) और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम.यू.), परियोजना गतिविधियों का समन्वय करें और कुछ प्रासंगिक परियोजना उप-घटकों को सीधे निष्पादित करें।

⁵⁵ खतरा रेखा वह रेखा है जिस पर प्रतिकूल मौसम की घटनाओं और सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरों से तट पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

⁵⁶ सुंदरवन मेंगोव क्षेत्र, गुजरात में खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी में मालवन , आचरा , कर्नाटक में कारवार और कुंडापुर , केरल में वेम्बनाड , तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी , उड़ीसा में भैतरकनिका, कोरिंगा , आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी और कृष्णा

था। तटीय संसाधनों और आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय मछुआरों और तटीय समुदायों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें सी.वी.सी.ए. के रूप में घोषित किया जाना था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को हितधारकों⁵⁷ के परामर्श से ऐसे सी.वी.सी.ए. की पहचान, योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का विवरण देने वाले दिशानिर्देशों को विकसित और अधिसूचित करना था। इसके अलावा, मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन, स्थानीय समुदायों⁵⁸ की जरूरतों और समुद्र के स्तर में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सी.वी.सी.ए. के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना (आई.एम.पी.) तैयार की जानी थी।

हमने पाया कि यद्यपि आई.एम.पी. के लिए दिशानिर्देश राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एन.सी.एस.सी.एम.) द्वारा तैयार किए गए थे और सितंबर 2016 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, इसे अभी तक अधिसूचित और राज्यों को प्रसारित किया जाना शेष था। अतः, तटीय राज्यों द्वारा आई.एम.पी. तैयार नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, सी.वी.सी.ए. असुरक्षित रहे और उनकी पहचान के बाद भी उनका सतत विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया (फरवरी 2022) कि तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आई.एम.पी. तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए दिशा-निर्देशों को अब अधिसूचित किया जाएगा।

6.2 आई.सी.जेड.एम.पी. के घटक 2 के तहत गतिविधियों का आकलन: गुजरात राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोणों का संचालन

6.2.1 आई.सी.जेड.एम. योजनाओं की तैयारी में विलंब

आई.सी.जेड.एम. कार्यक्रम के तहत, आई.सी.जेड.एम. योजनाएँ परियोजना की शुरुआत से 2 साल के भीतर अर्थात् 2012 से गुजरात राज्य के चयनित तटीय हिस्सों के लिए तैयार की जानी थीं। हालाँकि, गुजरात केवल 2018 में आई.सी.जेड.एम. योजना की तैयारी पूरी कर पाया था। इन योजनाओं की तैयारी में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप प्रारंभिक निवेश गतिविधियों का कार्यान्वयन हुआ जो आई.सी.जेड.एम. योजनाओं से सामने नहीं आया और इस तरह, ये गतिविधियाँ योजनाओं के लिए इस सीमा तक सहायक सिद्ध नहीं हो सकी।

⁵⁷राज्य सरकार, स्थानीय तटीय समुदाय और क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे

⁵⁸औषधालय, स्कूल, सार्वजनिक वर्षा आश्रय, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़कें, घाट, जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवरेज

6.2.2 गुजरात पारिस्थितिक शिक्षा और अनुसंधान फाउंडेशन (जी.ई.ई.आर) और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (गुजरात एस.पी.सी.बी.) जैसे विभिन्न हितधारक संस्थानों का क्षमता निर्माण

आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत क्षमता निर्माण और मूंगा प्रत्यारोपण गतिविधियों के लिए एस.पी.एम.यू. द्वारा वर्ष 2010 में जी.ई.ई.आर. के माध्यम से ₹ 15.74 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक परियोजना शुरू की गई। परियोजना का उद्देश्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और विभिन्न स्थानों पर समुद्री फील्ड स्टेशन स्थापित करना है। मांडवी और जामनगर में दो समुद्री फील्ड स्टेशनों के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि इन दो स्थानों पर परियोजना के तहत स्थापित 40 उपकरणों में से 33 उपकरण केवल जांच और मायांकन के लिए संचालित किए गए और कभी भी इच्छित उद्देश्य यानी कच्छ की खाड़ी के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र की मिट्टी और पानी के भौतिक-रासायनिक मापदंडों का अध्ययन करने के लिए उपयोग नहीं किए गए थे। इसके अलावा, प्रत्येक फील्ड स्टेशन पर चार व्यक्तियों को तैनात करने की आवश्यकता के विपरीत, मांडवी में केवल एक व्यक्ति और जामनगर फील्ड स्टेशन पर दो व्यक्ति तैनात पाए गए।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया कि (फरवरी 2022) कोविड-19 महामारी के कारण उपकरणों को उपयोग में नहीं लाया गया। हालांकि, तथ्य यह है कि उपकरण का उपयोग 2016-19 के दौरान यानी महामारी से पहले नहीं किया गया था।

इसी तरह के मामले में, गुजरात पी.सी.बी. की क्षमता निर्माण के तहत, परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों की खरीद के द्वारा प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना था। गुजरात एस.पी.सी.बी. द्वारा गांधीनगर, भुज, जामनगर और राजकोट में अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की और आई.सी.जेड.एम. परियोजना के तहत 18 परिष्कृत वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों की खरीद की गई। गांधीनगर में पाई गई केंद्रीय प्रयोगशाला के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि परियोजना के तहत ₹ 4.47 करोड़ की लागत वाले चार वैज्ञानिक उपकरण खरीदे गए, लेकिन नमूना विश्लेषण के लिए गुजरात एस.पी.सी.बी. द्वारा कभी भी उपयोग नहीं किया गया और यह प्रयोगशालाओं में बेकार पड़े रहे। इन उपकरणों के व्यापक अनुरक्षण अनुबंध भी वर्ष 2019 में समाप्त हो गए थे।

6.3 आई.सी.जेड.एम.पी. के घटक 3 के तहत गतिविधियों का आकलन: ओडिशा राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोण का संचालन

6.3.1 आई.सी.जेड.एम. योजनाओं की तैयारी में विलंब

आई.सी.जेड.एम. कार्यक्रम के तहत, परियोजना के शुरू होने के 2 साल के भीतर ओडिशा राज्य के चयनित तटीय हिस्सों के लिए आई.सी.जेड.एम. योजनाएं तैयार की जानी थीं। हालांकि, आई.सी.जेड.एम. योजना केवल 2018 में तैयार की गई। इसके अलावा, ओडिशा की

आई.सी.जेड.एम. योजना को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जानी शेष थी। इस योजना को तैयार करने में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप प्रारंभिक निवेश गतिविधियों का कार्यान्वयन हुआ जो आई.सी.जेड.एम. योजना के तहत सामने नहीं आया और इस तरह, योजना के लिए इस सीमा तक सहायक सिद्ध नहीं हो सकी।

6.3.2 ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओ.एस.पी.सी.बी.) और चिल्का विकास प्राधिकरण (सी.डी.ए.) में अपर्याप्त क्षमता निर्माण उपाय

(i) ओडिशा के पारादीप - धामरा तटीय खंड में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के कारण, विभिन्न तटीय जल गुणवत्ता मानकों के मामले में यह क्षेत्र सबसे खराब प्रदूषित तटीय हिस्सों में से एक के रूप में जाना जाता है। ओ.एस.पी.सी.बी. ने 2010 में तटीय पारितंत्र के प्रबंधन के लिए एक केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पारादीप-धामरा तटीय खंड में विभिन्न प्रदूषकों के स्रोतों, स्तरों और मार्गों का विश्लेषण करना था। 2013-2015 की अवधि के दौरान ₹ 2.76 करोड़ के 19 प्रयोगशाला उपकरण खरीदे गए थे। यह केंद्र, पानी और मिट्टी के नमूने एकत्र करने और तटीय जल गुणवत्ता मानकों का आंकलन करने के लिए था। यह पाया गया कि वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान केन्द्र इस गतिविधि को प्रभावी रूप से करने में विफल रहा था। नमूनों के संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 33 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक की कमी थी। इसके अलावा, केंद्र आवश्यक जनशक्ति⁵⁹ के 55 प्रतिशत पर काम कर रहा था और इसके परिणामस्वरूप नमूनों के विश्लेषण के लिए खरीदे गए उपकरणों का संचालन नहीं हो रहा था। हालांकि केंद्र का उद्देश्य प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान करके क्षेत्र में तटीय प्रदूषण को दूर करना था, लेकिन केंद्र इसे हासिल नहीं कर पाया था।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया (फरवरी 2022) कि चरणबद्ध भर्ती प्रक्रिया जारी है।

(ii) चिल्का झील पारितंत्र⁶⁰ के प्रभावी प्रबंधन के लिए, एक अध्ययन⁶¹ से पता चला कि इस पारितंत्र का उत्तरी क्षेत्र एक आक्रामक खरपतवार, फ्राग्माइटिस प्रकोप से पीड़ित था। लगभग 150 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में कर्का, झील की जल धारण क्षमता को काफी कम कर देता है। इस मामले को हल करने के लिए, ₹ 2.14 करोड़ की लागत से आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत एक बहुउद्देशीय एम्फीबियन वीड हार्वेस्टर (ए.डब्ल्यू.एच.) खरीदा गया (दिसंबर 2018) था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यह मशीन चिल्का झील अनुसंधान केन्द्र, जिसने हार्वेस्टर की खरीद के लिए समझौता किया था, के बजाय सी.डी.ए., अंसुपा को सौंप दी गई थी। यह भी पाया गया कि अंसुपा झील में मौजूद मशीन का परिनियोजन चिल्का की तुलना में अधिक था,

⁵⁹ फरवरी 2021 तक 41 कर्मियों की आवश्यकता के प्रति 22 व्यक्तियों की तैनाती के कारण स्टाफ की कमी

⁶⁰ एक रामसर साइट जो 0.2 मिलियन से अधिक स्थानीय समुदायों की आजीविका का समर्थन करने के अलावा प्रवासी पक्षियों और इरावदी डॉल्फिन की सबसे बड़ी मण्डली का समर्थन करने के लिए जानी जाती है,

⁶¹ चिल्का लैगून के मैक्रोफाइट्स की जैविक विविधता का गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन 'क्षेत्रीय संयंत्र संसाधन केंद्र, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित किया गया था।

जहां खरपतवार का प्रकोप अधिक था। हालांकि सी.डी.ए. अंसुपा ने झील के डीवीडेड क्षेत्र के उपग्रह चित्र प्रस्तुत किया, लेकिन यह चिल्का में डीवीड किए गए क्षेत्र के बारे में डाटा प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार, चिल्का में खरपतवार हार्वेस्टर की प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका जिसके लिए इसे खरीदा गया था।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया (फरवरी 2022) कि वीड हार्वेस्टर मशीन को वर्तमान में अंसुपा झील में तैनात किया गया है और अंसुपा में डीवीडिंग समाप्त होने के बाद चिल्का में तैनात किया जाएगा ।



चित्र 31: जल गुणवत्ता निगरानी बॉय प्रणाली

इसके अलावा, सी.डी.ए. 30 दिनों के अंतराल पर झील के 30 पूर्व निर्धारित स्टेशनों से पानी और तलछट के नमूने एकत्र कर रहा था। चूंकि झील की लवण प्रवणता ढाल प्रत्येक ज्वारीय चक्र के साथ बदलती है, इसलिए 30 दिनों के अंतराल पर झील की निगरानी अपर्याप्त पाई गई थी। इसलिए, सी.डी.ए. ने विभिन्न मापदंडों⁶² की निगरानी के लिए झील के चार पारिस्थितिक क्षेत्रों में 10 सामरिक स्थानों पर सौर पैनल द्वारा संचालित सेंसर-माउंटेड फ्लोटिंग डाटा बॉय तैनात करने का

निर्णय लिया था। इन मापदंडों को प्रत्येक स्टेशन में वास्तविक समय के आधार पर मापा जाएगा और चिल्का में वेटलैंड अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में मॉडलिंग कंप्यूटर को प्रेषित किया जाएगा । दस जल गुणवत्ता निगरानी बॉय सिस्टम, सेंसर के साथ बारह बहु-पैरामीटर जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (डब्ल्यू.क्यू.एम.बी.एस.) और एक नियंत्रण केंद्र डाटा रिसेप्शन ₹ 2.69 करोड़ की लागत पर चिल्का लैगून में 10 विभिन्न स्थानों पर खरीदा और स्थापित किया गया था (अक्टूबर 2012)।

अभिलेखों की संवीक्षा में हमने पाया कि संस्थापना के एक वर्ष और चार माह के भीतर, जून 2016 तक 10 डब्ल्यू.क्यू.एम.बी.एस. में से छः की चोरी हो गई थी और केवल चार बॉय परिचालन में थे। साथ ही, 2014 से किसी भी बॉय से पी.एच. डाटा प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार, 10 स्टेशनों से पूर्ण और निरंतर डाटा के अभाव में चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 2.69 करोड़ के व्यय के बावजूद चिल्का झील के अनुवीक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

⁶² लवणता, तापमान, चालकता, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन, पीएच, गहराई, मैलापन, क्लोरोफिल और नीली हरी एल्गी

6.3.3 ओडिशा में तटीय संसाधनों की सुरक्षा और उप घटक संरक्षण के तहत गतिविधियां

(i) ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की अपर्याप्त सुरक्षा

धामरा नदी के मुहाने के पास गहिरमाथा रूकरी, ओडिशा का रुशिकुल्या नदी का मुहाना और देवी नदी का मुहाना ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के महत्वपूर्ण सामूहिक नेस्टिंग स्थल बन गए हैं, जिन्हें आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटड स्पीशीज के तहत 'संवेदनशील' प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। ओलिव रिडले कछुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मार्च 2016 में राजनगर वन प्रभाग, केंद्रपाड़ा जिले द्वारा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य में तटीय गश्त के लिए ₹ 6.23 करोड़ में दो उच्च गति वाले समुद्री जहाजों की खरीद की गई थी। दोनों जहाजों का संचालन सितंबर से अक्टूबर 2017 के बीच किया गया था, जिसके बाद दोनों में खराबी आ गई थी। भले ही दिसंबर 2018 में एक पोत को परिचालित कर दिया गया था, लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों जहाजों के इंजन फरवरी 2020 में खराब हो गए और उसके बाद मरम्मत नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार ₹ 6.23 करोड़ का व्यय करने के बाद भी गहिरमाथा अभयारण्य में प्रभावी समुद्री गश्त का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

(ii) दंगमल, केंद्रपाड़ा जिला, ओडिशा में अनुसंधान प्रयोगशाला का परिचालन न किया जाना

भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, एक अद्वितीय जैव विविधता हॉट स्पॉट है जिसमें मेंगोव सहित समृद्ध जैव विविधता, एस्ट्रिन मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी, और अन्य वन्यजीव⁶³ मौजूद हैं। घायल जंगली जानवरों के बचाव और उपचार, भोजन की आदतों के आकलन के लिए मृत जंगली जानवरों के विसेरा का विश्लेषण, रोगों के लिए रोग/सूक्ष्म अध्ययन और उपचार प्रोटोकॉल के विकास, अध्ययन और विश्लेषण के लिए जंगली जानवरों के विभिन्न अंगों/अंगों के संरक्षण के लिए यहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

इन उद्देश्यों को सुगम बनाने के लिए आई.सी.जेड.एम. परियोजना के तहत नवंबर 2016 में ₹ 32.78 लाख रुपये की लागत से दंगमल में एक शोध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रयोगशाला प्रारंभ से ही कार्यात्मक नहीं थी। प्रयोगशाला के भौतिक सत्यापन के दौरान, हमने पाया कि प्रयोगशाला अभी भी काम नहीं कर रही थी, और यह सुविधा निराशाजनक स्थिति में थी, जैसा कि निम्नांकित तस्वीरों में दर्शाया गया है:

⁶³ जैसे दुर्लभ सफेद मगरमच्छ, सबसे बड़ी पानी की निगरानी करने वाली छिपकली, सांप, निवासी और प्रवासी पक्षियों की किस्में और स्तनधारी प्रजातियां (चित्तीदार हिरण, सांभर, जंगली सूअर, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, जंगली बिल्ली, ऊदबिलाव) आदि ।



चित्र 32: दंगमाल में प्रयोगशाला का कमरा नंबर 1



चित्र 33: दंगमाल में प्रयोगशाला का कमरा नंबर 2

(iii) मैंग्रोव के संरक्षण की दिशा में प्रयास

इन क्षेत्रों में जनसंख्या के उच्च घनत्व और कृषि और झींगे की खेती के लिए भूमि की प्रतिस्पर्धी मांग के कारण ओडिशा के तट के साथ-साथ मैंग्रोव को भी खतरा है। आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत, मैंग्रोव वन प्रभाग, राजनगर और पुरी वन्यजीव प्रभाग में 2016-2018 के दौरान तीन चरणों में 228 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ओडिशा के महानदी डेल्टा में मैंग्रोव के संरक्षण के लिए प्रबंधन कार्य योजना के तहत परिकल्पित गतिविधियों में से एक ज्वारीय जलप्लावन और ज्वार के पानी के सुचारू प्रवाह की सुविधा के लिए खाइयों और चैनलों का निर्माण था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ज्वारीय जल का प्रवाह बाधित था क्योंकि वृक्षारोपण स्थलों के आसपास के अधिकांश फीडर चैनल रेत से भरे हुए थे। परियोजना के तहत किए गए मैंग्रोव वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर शून्य से 35 प्रतिशत के बीच थी।

(iv) ओडिशा के पेंथा में तटरेखा संरक्षण:

पेंथा ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में पारादीप-धामरा खंड में धामरा के दक्षिण में स्थित एक कृषि आधारित गांव है। पेंथा में तटरेखा के अपरदन को रोकने के लिए, एक प्रस्तावित आंशिक परियोजना 'अपरदन के नियंत्रण के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में जियोसिंथेटिक ट्यूबों⁶⁴ को बिछाने' को 2012 में ओडिशा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई थी। नदी के रेत भरे जियोट्यूब को कवर करके गेबियन बक्से द्वारा एक तटबंध बनाया जाना था जो पॉलीप्रोपाइलीन रस्सियों से बंधे पत्थरों से बने होते हैं। यह कार्य मैसर्स गारवारे वॉल रोप्स प्रा. लि. को ₹ 32.96 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया था (2012) और जून 2016 तक इसे पूरा कर लिया गया था। हमने तटबंध के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कमियों की जांच की:

⁶⁴ इस योजना के तहत, तट पर तरंग ऊर्जा को कम करने और जियो-ट्यूब और तट के बीच रेत के निपटान की सुविधा के उद्देश्य से तटीय वनीकरण के बाद तट के 675 मीटर की लंबाई में समुद्र तट में जियो-सिंथेटिक ट्यूब बिछाई जानी थी।

- जनवरी 2014 में समीक्षा समिति के दौरे के दौरान, यह पाया गया था कि फैलिन चक्रवात के दौरान बनाई गई दीवार का एक हिस्सा ज्वार की लहरों से क्षतिग्रस्त हो गया था और समुद्र के संपर्क में आने वाले अधिकांश रोप गेबियन बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप रस्सी के अंदर भरे गेबियन पत्थर बाहर आ गए और ग्रेनाइट पत्थरों को ढीला भरे जाने के कारण बिखर गए थे। यह नुकसान खराब निर्माण के कारण हुआ था, क्योंकि इस्तेमाल किए गए पत्थरों का आकार अनुबंध समझौते में निर्दिष्ट किए गए पत्थरों के आकार से छोटा था।
- आई.सी.जेड.एम.ए. द्वारा प्रदान की गई मंजूरी और परियोजना की डी.पी.आर. में परिकल्पना की गई थी कि समुद्र और जीयो-ट्यूब तटबंध⁶⁵ के बीच तटीय वनीकरण किया जाना था। परियोजना की स्थिरता के लिए पहचान की गई प्रजातियां कैसुरिना, प्रॉप्सिस, नीम, पंडाना और बाबुल थीं। हालांकि, यह पाया गया कि जीयो-ट्यूब तटबंध के सामने कोई जगह उपलब्ध नहीं होने को कारण बताते हुए उन्होंने वृक्षारोपण नहीं किया था।
- जीयो-टेक्सटाइल ट्यूब तटबंध के सामने आर्मरी पत्थर संरक्षण निर्माण कार्य किया गया था, जो उच्च ज्वार की लहरों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। इसके लिए, राज्य निधि से ₹ 4.65 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर ली गई थी और इसे मार्च 2018 में पूरा किया गया था। यह जीयो-ट्यूब तटबंध का आर्मरी खंड मई 2019 में क्षतिग्रस्त हो गया था जब ओडिशा का तट भयंकर चक्रवाती तूफान 'फानी' की चपेट में आ गया था। अगस्त 2019 में तटबंध को और नुकसान हुआ जब कुछ शरारती तत्वों ने कुछ गेबियन रस्सियों में आग लगा दी थी। इस पर ₹ 3.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

6.3.4 तटीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका का प्रावधान

(i) मछली को स्वच्छता से सुखाने से संबंधित गतिविधि के तहत सृजित आधारभूत संरचना का निष्क्रिय होना:

ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा हेतु मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण ओडिशा के मछुआरे एक वर्ष में लगभग सात महीने की आजीविका सहायता खो देते हैं, आई.सी.जेड.एम.पी. का उद्देश्य चिल्का झील और गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य की परिधि में रहने वाले मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान करना है। 2014 में परियोजना⁶⁶ के तहत सूखी मछली उत्पादन के लिए आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित एक गतिविधि शुरू की गई थी।

⁶⁵ ताकि तरंग ऊर्जा को तोड़ा जा सके और जियो-ट्यूब की स्थिरता और कार्यान्वयन को बढ़ाया जा सके

⁶⁶ इस परियोजना में सोलर ड्रायर की खरीद, कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण, गोदाम, स्थापना और उसका संचालन शामिल था। इस गतिविधि को मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग (एफएंडएआरडी) द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के साथ पायलट निष्पादन एजेंसी के रूप में निष्पादित किया गया था।

हमने पाया कि पुरी और गंजम जिलों में कुल 150 एसएचजी का निर्माण किया गया था, जिसमें सीड मनी के लिए प्रत्येक को ₹ 1.50 लाख प्रदान किए गए थे और 2014 में ₹ 5.23 करोड़ से 99 सोलर ड्रायर⁶⁷ स्थापित किए गए थे। गोपालपुर क्लस्टर के अंतर्गत 82 सौर ड्रायर के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2021) के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

क) लेखापरीक्षा ने पाया कि गोपालपुर स्थल पर इस उद्देश्य के लिए केवल गोदाम निर्मित थे, वहां कोई भी सौर ड्रायर नहीं था। जिस स्थल पर सोलर ड्रायर संस्थापित किए गए थे, वहां पर गोपालपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद द्वारा स्थापित कचरा प्रोसेसिंग संयंत्र ने कब्जा कर लिया गया था।

इसके अलावा, एफ. एवं ए.आर.डी. विभाग द्वारा यह बताया गया था कि चूंकि परियोजना 2016 से निष्क्रिय हो गई थी और संस्थापित उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा चोरी हो गए थे, जिला प्रशासन द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत सूक्ष्म खाद केंद्र विकसित करने के लिए एक अन्य परियोजना की सुविधा के लिए सौर ड्रायर यार्ड को ध्वस्त कर दिया गया था।

ख) सना आर्यपल्ली में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सौर ड्रायरों की स्थापना के लिए केवल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया था। चक्रवात में शेड और सौर पैनल क्षतिग्रस्त हो गए थे और ड्रायर चोरी हो गए थे।

ग) पुरुनाबंध और नोलिया नुआगांव में, हमने पाया कि ड्रायर में जंग लग गया था और वह काम नहीं कर रहे थे।



चित्र 34 नोलिया नौगांव में क्षतिग्रस्त सौर पैनल



चित्र 35: पुरुनाबंध में जंग लगे अप्रयुक्त ड्रायर

चूंकि लेखापरीक्षा में जांचा गया कोई भी ड्रायर, समुदाय को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से कार्यात्मक नहीं था, आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत सुविधाओं के निर्माण पर ₹ 6.72 करोड़ का व्यय निष्फल था।

(ii) इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों पर निष्फल व्यय

ओडिशा के तट के साथ जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से आजीविका के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, तीन स्थलों नामतः गहिरमाथा

⁶⁷ सोलर ड्रायर सौर ऊर्जा का उपयोग करके मछलियों को स्वच्छ तरीके से सुखाने की एक प्रणाली है।

वन्यजीव अभयारण्य, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का तट पर शिविर बुनियादी रूपरेखा⁶⁸ के निर्माण जैसी कुछ गतिविधियां की जानी थीं।

(क) लेखापरीक्षा ने पाया कि भले ही चिल्का तट⁶⁹ के साथ पांच शिविर अवसंरचना का निर्माण 2018 में ₹ 1.46 करोड़ के खर्च के बाद किया गया था, लेकिन उचित पानी की आपूर्ति और बिजली की कमी के कारण इसे कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका था।

(ख) ओडिशा पर्यटन विकास निगम (ओ.टी.डी.सी.) द्वारा आजीविका सुरक्षा के तहत चिल्का और टाम्पेरा में सहभागी पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास पर एक परियोजना शुरू की गई थी। अभिलेखों की जांच से पता चला कि ईको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी (ई.डी.एस.) के माध्यम से पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए ₹ 2.97 करोड़ के व्यय पर ओ.टी.डी.सी. द्वारा फूड कोर्ट का निर्माण, सार्वजनिक सुविधा, पार्किंग, पर्यटक सूचना केंद्र इत्यादि जैसी विभिन्न संपत्तियां बनाई गई थीं। हालांकि, इन संपत्तियों को मई 2016 के दौरान ई.डी.एस. को सौंप दिया गया था, उन्हें सितंबर 2021 तक ई.डी.एस. द्वारा परिचालन नहीं किया जा सका, क्योंकि यह साइट पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रही थी।

(ग) चिल्का तट और भितरकनिका में पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, मार्च से जुलाई 2014 के बीच सात ट्रांजिट नौकाएं, चार लकजरी नौकाएं और तीन कटमरैन नौकाएं क्रमशः चिल्का के वन्यजीव प्रभाग, राजनगर के वन प्रभाग और बरहामपुर के वन प्रभाग द्वारा ₹ 7.95 करोड़ की लागत पर खरीदी गई थीं।

अभिलेखों की संविक्षा में पाया गया कि चिल्का वन्य जीव प्रमंडल द्वारा खरीदी गई सात ट्रांजिट नौकाओं का संचालन विभाग द्वारा मात्र 11 माह⁷⁰ के लिए किया गया था। हालांकि, ईंधन की भारी खपत के कारण, ये नौके पारिस्थितिक पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी नहीं पाई गई थीं। बरहामपुर वन मंडल द्वारा खरीदी गई तीन कटमरैन नौकाओं को खरीद की तारीख से लगभग दो वर्षों तक बेकार पड़ी रहने के बाद इन्हें फरवरी 2016 में राजानगर वन प्रभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। इन तीन नौकाओं को सितंबर 2017 तक संचालित किया गया और उसके बाद निष्क्रिय छोड़ दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजनगर के वन प्रभाग के अंतर्गत चार लकजरी नौकाओं का भी परिचालन नहीं किया जा सका था। एक वर्ष और तीन महीने तक निष्क्रिय रहने के बाद, एक अभिकरण जो सितंबर 2017 तक नौकाओं को संचालित करने के लिए लगाई गई थी (जनवरी 2016), वह अक्टूबर 2017 में संचालन से बाहर हो गई क्योंकि विभाग से समर्थन की कमी के कारण उसे भारी नुकसान हुआ था।

⁶⁸ जिसमें किचन, पेयजल, सोलर लाइटिंग, फर्नीचर और फिटिंग के साथ-साथ टेंट लगाने के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण आदि की व्यवस्था है।

⁶⁹ रामभारतिया , बरहामपुरा , खिरिसाही , बालियानला , पोखरीकुड़ा

⁷⁰ दिसंबर 2014 से अक्टूबर 2015

6.4 आई.सी.जेड.एम.पी. के घटक 4 के तहत गतिविधियों का आकलन: पश्चिम बंगाल राज्य में आई.सी.जेड.एम. दृष्टिकोण का संचालन

6.4.1 आई.सी.जेड.एम. योजनाओं की तैयारी में विलंब

आई.सी.जेड.एम. कार्यक्रम के तहत, परियोजना की शुरुआत से 2 साल के भीतर पश्चिम बंगाल राज्य के चयनित तटीय हिस्सों के लिए आई.सी.जेड.एम. योजनाएं तैयार की जानी थीं। हालाँकि, आई.सी.जेड.एम. योजनाओं की तैयारी अगस्त 2020 में ही हो पाई थी। इन योजनाओं की तैयारी में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप पायलट निवेश गतिविधियों का कार्यान्वयन हुआ जो आई.सी.जेड.एम. योजनाओं से सामने नहीं आया और इस प्रकार, ये गतिविधियाँ निम्नलिखित योजनाओं की इस हद तक पूरक नहीं हो सकी थीं।

6.4.2 पश्चिम बंगाल में आई.सी.जेड.एम.पी. के पर्यावरण और प्रदूषण प्रबंधन उप-घटक के तहत गतिविधियों के संबंध में पाया गया अंतराल

(i) दीघा में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र (एस.टी.पी.) के खराब कामकाज के कारण प्रदूषित पानी को समुद्र में डाला जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में आई.सी.जेड.एम.पी. के पर्यावरण और प्रदूषण प्रबंधन उप-घटक के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य आभियांत्रिकी निदेशालय (पी.एच.ई.डी.), पश्चिम बंगाल द्वारा दिसंबर 2012 में 'दीघा में स्वच्छता सीवरेज योजना का नवीनीकरण' नामक एक परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना में ₹ 34 करोड़ की अनुमानित लागत पर 201 मिलियन लीटर प्रति माह की क्षमता वाले एक एस.टी.पी. के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसका निर्माण सितंबर 2016 में ₹ 28.87 करोड़ की लागत पर किया गया था।

यह पाया गया कि हालांकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सी.ओ.डी.), सस्पेंडेड सॉलिड, नाइट्रोजन, फॉस्फेट आदि से संबंधित मापदंडों को मापा गया था, नमूनों के संग्रह और परीक्षण के लिए कोई आवधिकता निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अलावा, उपचारित पानी के पैरामीटर, अर्थात् पी.एच., कुल डिस्सॉल्व्ड सॉलिड, तेल और ग्रीस, अनुमेय सीमा से अधिक पाए गए थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि 2015-20 के दौरान बहिःस्राव में फेकल कोलीफॉर्म की जांच के लिए परीक्षण नहीं किए गए थे। इस प्रकार, रुपये का खर्च करने के बाद भी ₹ 28.87 करोड़ के एसटीपी के निर्माण पर, उपचारित सीवेज जल प्रदूषकों को अनुमेय सीमा से अधिक ले जाना जारी रखा गया, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है।

(ii) दीघा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयन न किया जाना

दीघा और शंकरपुर क्षेत्र में आई.सी.जेड.एम.पी. के उद्देश्यों में से एक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संग्रह, परिवहन और स्वच्छता निपटान से जुड़े मामलों से निपटने और तटीय प्रदूषण को कम

करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना विकसित करना था। दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण (डी.एस.डी.ए.) इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन अभिकरण थी।

डी.एस.डी.ए. ने 2010 में इस काम को अपने हाथों में लिया था और ₹ 24.22 लाख का व्यय करके एक सलाहकार फर्म⁷¹ के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन करवाया था। अध्ययन से पता चला है कि उत्पन्न कुल अपशिष्ट में से, सामान्य दिनों में 12.43 टी.पी.डी. और पीक सीजन के दौरान 33.64 टी.पी.डी., सामान्य दिनों में केवल 3.36 टी.पी.डी. और पीक सीजन के दौरान 7.86 टी.पी.डी. डी.एस.डी.ए द्वारा संग्रह किया जा सका था और इसे एक खुले क्षेत्र में डंप किया गया था। यह खुला डंपिंग स्थल 2002 से चालू था और इसमें एक कंपोस्टिंग सुविधा थी जो परिचालन में नहीं लिया जा रहा था लेखापरीक्षा ने पाया कि इस परियोजना को निधी की कमी के कारण छोड़ दिया गया था क्योंकि डीएसडीए के अधिकारियों ने बताया कि वे परियोजना के वार्षिक अनुरक्षण और संचालन प्रभार के रूप में प्रति वर्ष ₹ 2.20 करोड़ की आवश्यकता को प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हमने यह भी पाया कि बाद में राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य परियोजना शुरू नहीं की गई थी। इस प्रकार, तटीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।

(iii) दीघा में मछली नीलामी केंद्र का नवीनीकरण

पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा मोहाना में एक अस्वच्छ अस्थायी मछली नीलामी केंद्र उचित जल निकासी और ठोस अपशिष्ट के निपटान के बिना दो दशक से अधिक समय से चल रहा था। आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत, मछली नीलामी केंद्र को मार्च 2015 तक पुनः नवीनीकृत किए जाने का प्रस्ताव (2010) किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार के एक उद्यम पश्चिम बंगाल मत्स्य निगम लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल.) को ₹ 6.75 करोड़ की लागत से मछली नीलामी केंद्र का निर्माण योजना बनाने, डिजाइन करने और निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल. ने इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक भूमि के उचित स्थल चयन और सर्वेक्षण के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। हालांकि, यह पाया गया कि दीघा फिशरमैन एंड फिश ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल. को हस्तांतरित किए गए मछली नीलामी केंद्र के निर्माण के लिए निर्धारित भूमि को डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल. को बिना किसी सूचना के बर्फ संयंत्र के निर्माण के लिए बेनफिश (पश्चिम बंगाल फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड) को पुनः आवंटित किया गया था। इसके अलावा, विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने दीघा की अपनी साइट के दौरे पर पाया कि प्रस्तावित नीलामी केंद्र के निर्माण के लिए भूमि के क्षेत्र में कमी थी और जमीन का वास्तविक क्षेत्र उस ड्राइंग से मेल नहीं खाता था जिसके आधार पर बोली दस्तावेज तैयार और विज्ञापन दिया गया था।

⁷¹ मैसर्स क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड

2014 में आयोजित एस.आई.सी.ओ.एम. की ग्यारहवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस परियोजना को इस कारण से हटा दिया गया था कि इसे आवश्यक मंजूरी नहीं मिली थी। इस प्रकार, बोली प्रक्रिया शुरू करने से पहले डब्ल्यू.बी.एफ.सी.एल. द्वारा आवश्यक जमीनी सर्वेक्षण की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप विज्ञापन लागत, पूर्व-बोली बैठक, बोली खोलने की बैठक, भूमि की माप के लिए साइट के दौरे आदि पर किया गया कुल खर्च ₹ 18.00 लाख था।

6.5 निष्कर्ष

- हालांकि आई.सी.जेड.एम. परियोजना, चरण -I को सफल करार दिया गया था, केंद्र और राज्यों दोनों में इस परियोजना की लेखापरीक्षा के दौरान कई कमियां पाई गई थी। जमीन पर दिखाई देने वाली जोखिम रेखा की कमी ने स्थानीय उद्देश्यों की योजना बनाने के उपकरण के रूप में इसके उपयोग को रोका था।
- सी.वी.सी.ए. के लिए आई.एम.पी. को आई.सी.जेड.एम.पी. के चरण-I के पूरा होने के बाद भी अधिसूचित नहीं किया जा सका था और यह विशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के अभाव में असुरक्षित रहे थे। आई.सी.जेड.एम.पी. योजनाओं की तैयारी में भी विलंब हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप योजना और वास्तविक परियोजनाओं के बीच कोई संबंध नहीं था।
- यह परियोजना, चयनित संस्थानों की क्षमता निर्माण को मजबूत नहीं कर सकी थी क्योंकि उनमें से अधिकांश अपर्याप्त जनशक्ति के साथ काम कर रहे थे। परियोजना के तहत सृजित बुनियादी रूपरेखा राज्य के अधिकारियों द्वारा इसे बनाए रखने के लिए निधी जुटाने में असमर्थता के कारण निष्क्रिय पड़ा था। तटीय संसाधनों की निगरानी और सुरक्षा उपाय अपर्याप्त पाए गए थे। महत्वपूर्ण परियोजनाओं का गैर-निष्पादन जिसमें तटीय प्रदूषण को काफी हद तक कम करने की क्षमता थी, इस परियोजना के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया था। परिणामस्वरूप, भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए स्थायी तटीय प्रबंधन की क्षमता के विकास में आई.सी.जेड.एम. परियोजना बहुत सफल नहीं रही।